न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 129/2021

सन्दीप कुमार पुत्र श्री राजवीर, जाति जाट, निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– वादी

बनाम

1. सत्यवीर सिंह पुत्र श्री लालमण जाति जाट, निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
3. उप पंजीयक महोदय सूरजगढ़ उप पजीयन कार्यालय तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार सूरजगढ, जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक –03.01.2023

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि कृषि भूमि खसरा न0 201 रकबा 0.57 है0, खसरा न0 202 रकबा 0.03 है0, खसरा न0 481 रकबा 0.64 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 है0 स्थित मौजा वाके ग्राम किढवाना, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में हिस्से 1/2 का अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जावे तथा पर्चा लगान भी वादी का अलग से कायम किया जावे।

(ख) यह कि वाद पत्र की धारा न0 1 में वर्णित उक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादी न0 1 के मध्य बाई मीट्स व बाई बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी के कब्जे शुदा हिस्से को वादी का घोषित किया जाकर वादी के हिस्से की कृषि भूमि का पर्चा लगान तथा खतौनी अलग से कायम की जावें।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण न0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त कृषि भूमि में वादी के 1/2 हिस्से को जो विवादित जायदाद जेर बहस में उतर की ओर की कृषि भूमि के कब्जा काश्त में दखल पैदा न करें तथा उसके उपयोग व उपभोग में कोई बाधा कारित न करें।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

(घ) यह कि अन्य सिद्वी जो बहक वादी हो और भूल व गलती से चाही जाने से रह गई तो वह भी वादी को धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिलावाई जावें।

(ड़) यह कि हर्जा खर्चा वादी को प्रतिवादी से दिलवाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कियॉ गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये रजिस्ट्रड सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 व 02 बावजूद तामील अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 03 एवं 04 की और से राज पैरोकार ने अनापत्ति जाहिर की । वादी वकील ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमती व्यक्त की । वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वकील वादी की एक पक्षीये बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—:: आदेश::—

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा न0 201 रकबा 0.57 है0, खसरा न0 202 रकबा 0.03 है0, खसरा न0 481 रकबा 0.64 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 है0 स्थित मौजा वाके ग्राम किढवाना, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 — 1/2 बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है तथा बैक रहन हिस्से अनुसार बदस्तुर दर्ज करे।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर सूरजगढ़

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.–129/2021 निर्णय दिनांक :–03-01-2023

सन्दीप कुमार **बनाम** सत्यवीर सिंह आदि

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री भारत भूषण शर्मा एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 03.01.2023 को **राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खसरा न0 201 रकबा 0.57 है0, खसरा न0 202 रकबा 0.03 है0, खसरा न0 481 रकबा 0.64 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.24 है0 स्थित मौजा वाके ग्राम किढवाना, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 – 1/2 बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है बैक रहन हिस्से अनुसार बदस्तुर दर्ज करे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर सूरजगढ़